[illegible]

[illegible] आज पत्रावली [illegible] तहसीलदार गोरखपुर की [illegible] सहित प्रस्तुत हुई। [illegible] गोरखपुर ने अपना [illegible] 16-4-2007 में बताया है कि ग्राम मुबारकपुर [illegible] के खाता नं0-111 [illegible] 0.62[illegible] पर [illegible] राजेश पत्नि महेन्द्र [illegible] और संक्रमणीय भूमिधर [illegible] पर दर्ज है एवं खाता नं0-112 के [illegible]-20.5 [illegible] 14.2[illegible] कुल [illegible] किले रकबा 0.766[illegible] पर [illegible] राजेश पत्नि महेन्द्र सिंह नि0मु0नगर के नाम दर्ज है और इस भूमि पर स्वामी कल्याण देव सिंह कालेज गोरखपुर/[illegible] का विवरण दर्ज चल रहा है अतः उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने की याचना की गई है, जिससे सम्बन्ध रखकर मेरे द्वारा उस पर सहमति के आदेश पृष्ठांकित किये गये हैं। तदनुसार उक्त भूमि धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। परवाना अमलदरामद जारी हो, अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें।

25-5-07

हेमेन्द्र कुमार मिश्रा
उप जिलाधिकारी,
[illegible]

उपजिलाधिकारी/[illegible]
[illegible] (मुबारकपुर)

Copied By [illegible]

50

25.5.07
26.5.07
28.5.07

TRUE COPY

Receipt [illegible] 800
JANSATTA
28.5.07